कार्यालय मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांकः– 605 फै0क्षे0 / 74 याता0(गोण्डा वृत्त) / 16 दिनांक :– 18-1-2017

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जनपद गोण्डा में बहराइच–फैजाबाद–आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0–79 (चैनेज 78.200) के दांयी ओर ग्राम–बन्धुसरा, परगना–महादेवा, तहसील–तरबगंज, जनपद–गोण्डा के खसरा संख्या–342 पर मेसर्स भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. जनपद गोण्डा में बहराइच–फैजाबाद–आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0–79 (चैनेज 78.200) के दांयी ओर ग्राम–बन्धुसरा, परगना–महादेवा, तहसील–तरबगंज, जनपद–गोण्डा के खसरा संख्या–342 पर मेसर्स भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना लेपित मार्ग के मध्य रेखा से दांयी ओर 22.86 मी0 (75 फीट) के बाहर कराया जाय।
2. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी0 नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
3. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढ़का जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
4. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुॅचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0–3 ह्यूम पाईप / आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) सर्विस एरिया का ढ़ाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।
7. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
8. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
9. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का काई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. मेसर्स भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

Rhoth 18/1/17

11. एम0ओ0एस0टी0 द्वारा जारी पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99—डी0ओ0—।।। दिनांक 24.07.13 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तो एवं आईआर0सी0 कोड—12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी।

12. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

13. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या—4888 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0टी0—23/14 दिनांक 30.12.14 द्वारा विशेष सचिव, लो0नि0 अनु0—12 उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी—मालवीयनगर, गोण्डा पर बाध्यकारी होगा।

उपरोक्त अनुमति अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा द्वारा का पत्रांक 96/114 काम—गो0वृ0/2016—17 दिनांक 13.01.17 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(आर0आर0सिंह),
मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांकः— फै0क्षे0/ याता0(गोण्डा वृत्त)/16 दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. जिलाधिकारी, गोण्डा।
   संलग्नकः—ड्राइंग की एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा के पत्रांक 96/114 काम—गो0वृ0/2016—17 दिनांक 13.01.17 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—1, लो0नि0वि0, गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।